

209

## समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल गवालियर (म.प्र.)

राजस्व अपील प्रकरण कं.....  
124255/16

विषय:- आदिल जनजाति सदस्य को भूमि विक्य करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

पक्षकार नं.1 :- श्रीमती सीता बाई गौड़, उम्र-38 वर्ष, पति श्री राजकुमार गौड़ निवासी-98/क, नारायणपुर तह. व जिला जबलपुर म.प्र।

### विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2. श्री ज्ञानचंद जैन उम्र-56 वर्ष, पिता श्री अमर चंद जैन, निवासी-डी. के. 1/71, कोलाआर रोड, दानिस कुंज, हुजूर भोपाल म.प्र।

### अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण कं. 45/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05/09/2016 (Annexure-1) से व्यक्ति होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है।


2. यह कि आवेदिका श्रीमती सीता बाई गौड़, उम्र-38 वर्ष, पति श्री राजकुमार गौड़ निवासी-98/क, नारायणपुर तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम ऐठाखेड़ा, प.ह.नं. 28, रा. नि.म. जबलपुर-2, तह. व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 232 रकवा 0.70 है। भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री आत्मेश गर्ग उम्र-34 वर्ष पिता श्री गोपाल दत्त गर्ग निवासी-616/अ, चितरंजन वार्ड रामनगर, अधारताल जबलपुर तह. व जिला जबलपुर वालो को विक्य करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11/02/2016 को (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व 1959 की धारा 165 (6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण तहसीलदार जबलपुर रा.नि.म. जबलपुर-2 द्वारा प्र.क.38/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दिनांक 17/7/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदन किया गया है कि भूमि विक्य के अनुमति उपरांत आवेदिका के पास ग्राम भैसावाही, प.ह.नं. 60, रा.नि.म. कुंडम में 2.53 है। सिंचित भूमि शेष बचेगी जो कि उसके जीवनयापन तथा उसके परिवार के लिए पोषण के लिये पर्याप्त है आवेदित भूमि विक्य के पश्चात् आवेदिका को उचित प्राप्त हो रहा है आवेदिका के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा आवेदित भूमि सिंचित है तथा साथ ही यह भी प्रतिवेदन किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा क्य की गई थी। तथा यह भूमि शासन द्वारा पट्टे पर प्राप्त नहीं है भूमि ही आवेदिका के साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है और न ही भूमि विक्य के पश्चात् आवेदिका के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

4. तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर के प्रकरण कं. 43/अ-21/2015-16 में प्रतिवेदन दिनांक 10/11/2016 (Annexure-4) के माध्यम से कलेक्टर जबलपुर को भेजा गया है।

संदीनी सीता गर्ग

कमश:2



१६ ०० २०१८

श्रीमती सीताबाई विरुद्ध म०प्र० शासन आदि

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, अबलियर**

**प्रकरण क्रमांक - अपील 4255-एक/16**

**जिला - जबलपुर**

द्वाव तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पश्चाकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२४.१२.१६	<p>यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 5-9-16 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वन अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ व्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 05-09-16 को अदम पैटवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए व्यायाहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में अपीलार्थिनी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ व्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थिनी द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा याम ऐंगखेड़ा प.ह.नं. 28 दा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसदा नं. 0.70 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आलोच्य भूमि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है</p>	

*B.M.*

*M*

R. 4255-5/6 (नियम) श्रीमती सीताबाई विल्हेम मोरो ग्रासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>शासन से प्राप्त भूमि नहीं है। चूंकि आवेदिका आदिम जनजाति की सदस्या है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम छैसावाही में 2.53 हेक्टर भूमि द्वेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। आवेदिका अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाहड़ लाहन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में आवेदिका को उसके भूमिस्थामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-09-16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदिका को उसके स्वामित्व की ग्राम ऐंगखेड़ा प.ह.न. 28 रा.नि.म. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 0.70 हेक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 श्री झानचंद जैन पिता श्री अमरचंद जैन को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाहड़ लाहन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>अपील तदनुसार नियाकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p>(एम०क०० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, म०प्र० रवालियर</p>	